प्रकाशनार्थ अनुमोदित

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 92/2006

अपीलकर्तागण सुरजीत सिंह और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण लेखु दास एवं अन्य

दिनांक 17-1-2011 को आदेश हेतु सूचीबद्ध करे।

सही/-

एन.के. अग्रवाल,

न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

छत्तीसगढ उच्च न्यायालय, बिलासपुर

द्वितीय अपील क्रमांक 92/2006

अपीलकर्तागण

सुरजीत सिंह और अन्य

बनाम

प्रत्यर्थीगण

लेखु दास एवं अन्य

एकल पीठः- माननीय श्री एन.के. अग्रवाल, न्यायाधीश

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

उपस्थितः-

अपीलकर्ताओं की ओर से अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव और श्री मलय श्रीवास्तव उपस्थित हुए।

प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3 की ओर से वरिष्ठ अधिवक्ता श्री प्रमोद वर्मा और अधिवक्ता श्री सुमित वर्मा उपस्थित हुए।

आदेश

(17-1-2011)

1. यह अपील राजनांदगांव के जिला न्यायाधीश द्वारा सिविल अपील संख्या 44-ए/2003 में दिनांक 22 नवंबर, 2005 को पारित निर्णय और डिक्री के विरुद्ध है, जिसके द्वारा राजनांदगांव के द्वितीय व्यवहार न्यायाधीश वर्ग I द्वारा व्यवहार वाद

संख्या 13-ए/1995 में दिनांक 11-4-1996 को पारित निर्णय और डिक्री को अपस्त कर दिया गया है। मामले के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार हैं:-

2.वादी (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 1 से 3) ने स्वामित्व की घोषणा की मांग करते हुए और यह घोषित करने के लिए मुकदमा दायर किया कि प्रत्यर्थी संख्या 3 (यहाँ प्रत्यर्थी संख्या 4) द्वारा प्रत्यर्थी संख्या 1 (यहाँ अपीलकर्ता संख्या 1) के पक्ष में दिनांक 21-12-1974 को निष्पादित विक्रय विलेख उन पर बाध्यकारी नहीं है, तथा प्रतिवादी संख्या 1 और 2 (यहाँ अपीलकर्ता) को उनके कब्जे में हस्तक्षेप करने से रोकने के लिए स्थायी निषेधाज्ञा जारी करने की मांग की। प्रारंभ में वादियों का मामला यह था कि वे राजनांदगांव के गथुला ग्राम में स्थित खसरा संख्या 106/4 क्षेत्रफल 1 एकड़ की वाद संपत्ति के पूर्ण स्वामी हैं और उस पर उनका कब्जा भी है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने बिना किसी कानूनी आवश्यकता के 2,000 रुपये के प्रतिफल पर उनकी ओर से प्रतिवादी संख्या 1 के पक्ष में एक विक्रय विलेख निष्पादित किया। उक्त विक्रय उनके लाभ के लिए। प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा निष्पादित उक्त विक्रय विलेख अवैध है और वादियों पर बाध्यकारी नहीं है। राजस्व अधिकारियों द्वारा उत्परिवर्तन मामला भी खारिज कर दिया गया था। बाद में प्रतिवादियों द्वारा लिखित बयान दाखिल करने के बाद, वादियों ने दलील दी है कि वाद संपत्ति वादियों की नानी द्वारा उनके लाभ के लिए वित्तपोषित की गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इसकी खरीद के लिए कुछ भी भुगतान नहीं किया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

3.प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 ने अपना लिखित कथन अलग-अलग दाखिल किया। संक्षेप में, बचाव में, यह दिया गया था कि वाद भूमि प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा दिनांक 3-4-1974 की पंजीकृत विक्रय विलेख के माध्यम से सरदार करतार सिंह से वादियों के नाम पर खरीदी गई थी। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने इसे अपने नाम पर इसलिए नहीं खरीदा ताकि साहूकारों से संपत्ति को बचाया जा सके, जिन्होंने उसके खिलाफ वसूली के मुकदमे दायर किए हैं। वादी वाद संपत्ति के वास्तविक स्वामी नहीं हैं। यह बेनामी रूप से खरीदी गई थी और प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा 21-12-74 के विक्रय विलेख के माध्यम से इसे वैध रूप से प्रत्यर्थी संख्या 1 को बेच दिया गया था, जो वादियों पर बाध्यकारी है। आगे यह दलील दी गई कि यह अप्रासंगिक है कि वाद संपत्ति वादियों के नाम पर बेनामी रूप से खरीदी गई थी या नहीं, क्योंकि खरीद बेनामी थी और वास्तविक स्वामी प्रतिवादी संख्या 3 थे। हालांकि, लिखित बयान के अनुसार, यह कहा गया है कि उन्हें वादियों द्वारा वर्ष 1976 में वाद संपत्ति से बेदखल कर दिया गया था और तब से वादी उस पर वास्तविक कब्जे में हैं।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

4.प्रत्यर्थी संख्या 3 ने अपने लिखित कथन में वादियों के दावे को पूरी तरह स्वीकार किया और यह भी बताया कि प्रत्यर्थी संख्या 2 साहूकार है। उस पर 700 रुपये का ऋण था, जिसकी गारंटी के तौर पर उसने उक्त भूमि को प्रत्यर्थी संख्या 2 के पक्ष में गिरवी रखा था। आगे यह भी कहा गया कि लिया गया ऋण व्यक्तिगत ऋण था और परिवार की किसी कानूनी आवश्यकता के लिए नहीं लिया गया था।

5. विद्वान विचारण न्यायालय ने विवाधक विरचित किये। दोनों पक्षों ने साक्ष्य प्रस्तुत किए। विद्वान विचारण न्यायालय ने प्रस्तुत साक्ष्यों, दलीलों और अभिलेख में सामग्री का मूल्यांकन करने के बाद वाद खारिज कर दिया।

6.वादी पक्ष ने प्रथम अपील दायर की। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने के बाद विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश को पलट दिया और प्रस्तुत द्वारा वाद विक्रित कर दिया । अतः यह द्वितीय अपील दायर की गई है

7.निम्नलिखित महत्वपूर्ण विधि प्रश्न पर 3-5-2006 को अपील सुनवाई के लिए स्वीकार की गई:-

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

1.क्या प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा विचारण न्यायालय द्वारा पारित सुविचारित निर्णय और आदेश को पलटने में न्यायसंगत था ?

8. अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता श्री राजीव श्रीवास्तव ने अभियोजन साक्षी 1 लेखुदास, अभियोजन साक्षी 2 संतरम और अभियोजन साक्षी 3 खोरबहारा के बयानों का हवाला देते हुए कहा कि विद्वान विचारण न्यायालय ने साक्ष्यों के उचित मूल्यांकन के आधार पर अपने निष्कर्ष निकाले हैं, लेकिन प्रथम अपीलीय न्यायालय ने उपरोक्त साक्ष्यों का उचित परिप्रेक्ष्य में पुनर्मूल्यांकन किए बिना और उपरोक्त गवाहों के बयानों में पाए गए महत्वपूर्ण विरोधाभासों को अनदेखा करते हुए अपने निष्कर्षों को पलट दिया है, जो संतोष हजारी बनाम

पुरुषोत्तम तिवारी 2001 (3) एस. सी. सी. 179 में प्रकाशित मामले में सर्वोच्च न्यायालय के फैसले के अनुच्छेद 15 के आलोक में कानून की दृष्टि से मान्य नहीं है. सर्वोच्च न्यायालय ने उपरोक्त फैसले के कंडिका 15 में निम्नलिखित कहा है:-

> 15. विचारण न्यायालय के फैसले को देखने से पता चलता है कि उसने उन मुद्दों पर निर्णय लेने के लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत मौखिक और दस्तावेजी साक्ष्यों पर विस्तार से विचार किया है जिन पर पक्षकार मुकदमे में गए थे। अदालत ने यह भी पाया कि वादग्रस्त भूमि पर प्रतिकूल कब्जे के अपने दावे के समर्थन में प्रत्यर्थी ने कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया, जबकि प्रत्यर्थी द्वारा प्रस्तुत मौखिक साक्ष्य परस्पर विरोधी प्रकृति के थे और इसलिए भरोसे के योग्य नहीं थे। प्रथम अपीलीय न्यायालय ने बहुत ही संक्षिप्त तरीके से वादी द्वारा लगाए गए कब्जे और बेदखली के आरोप के साथ-साथ प्रत्यर्थी द्वारा दावा किए गए प्रतिकूल कब्जे के प्रश्न पर भी निर्णय को पलट दिया है। प्रत्यर्थी । अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णयों को पलटने या पुष्टि करने का अधिकार है। प्रथम अपील पक्षों का एक महत्वपूर्ण अधिकार है और जब तक कानून द्वारा प्रतिबंधित न हो, इसमें तथ्य और कानून दोनों के प्रश्नों पर संपूर्ण मामले की पुनर्विचार सुनवाई खुली रहती है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

इसलिए, अपीलीय न्यायालय के निर्णय में उसके विवेकपूर्ण निर्णय का प्रतिबिंब होना चाहिए और पक्षों द्वारा अपीलीय न्यायालय के निर्णय के लिए प्रस्तुत और दबाव डाले गए सभी मुद्दों और दलीलों पर कारणों सहित निष्कर्ष दर्ज किए जाने चाहिए। विचारण न्यायालय के निर्णयों की पुष्टि करना अपीलीय न्यायालय का कार्य आसान है। विचारण न्यायालय के दृष्टिकोण से सहमत होने पर अपीलीय न्यायालय को साक्ष्य के प्रभाव को पुनः बताने या विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए कारणों को दोहराने की आवश्यकता नहीं है; जिस न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील की जा रही है, उसके द्वारा दिए गए कारणों से सामान्य सहमति व्यक्त करना सामान्यतः पर्याप्त होगा (देखें गिरिजानंदिनी देवी बनाम बिजेंद्र नारायण चौधरी (**AIR** 1967 **SC** 1124))। हालांकि, हम एक चेतावनी देना चाहेंगे। अपील में दिए गए निर्णय में दर्ज निष्कर्षों से सामान्य सहमति व्यक्त करना अपील न्यायालय द्वारा अपने कर्तव्य से बचने का कोई बहाना या छलावा नहीं होना चाहिए। निर्णय को उलटते समय अपील न्यायालय को दो सिद्धांतों का ध्यान रखना चाहिए। सर्वप्रथम, विचारण न्यायालय द्वारा परस्पर विरोधी साक्ष्यों के आधार पर दिए गए तथ्य संबंधी निष्कर्षों पर अपील न्यायालय को विचार करना

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

चाहिए, विशेषकर तब जब ये निष्कर्ष उसी पीठासीन न्यायाधीश द्वारा दर्ज मौखिक साक्ष्यों पर आधारित हों, जिसने निर्णय लिखा है। इसका यह अर्थ बिल्कुल नहीं है कि जब अपील तथ्यों पर आधारित हो, तो अपील न्यायालय विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्य संबंधी निष्कर्ष को उलट नहीं सकता। विधि के अनुसार, यदि विचारण न्यायालय द्वारा साक्ष्यों का मूल्यांकन किसी महत्वपूर्ण अनियमितता से ग्रस्त है या उस पर आधारित है अस्वीकार्य साक्ष्य या अनुमानों और अटकलों पर आधारित निर्णय में अपीलीय न्यायालय को हस्तक्षेप करने का अधिकार है। (देखें मधुसूदन दास बनाम नारायणीबाई (1983) 1 एससीसी 35) नियम यह है, और यह व्यवहार का एक नियम मात्र है, कि जब किसी विवादित मामले पर पक्षों के मौखिक साक्ष्यों में विरोधाभास हो और निर्णय गवाहों की विश्वसनीयता पर निर्भर करता हो, तो जब तक किसी विशेष गवाह के साक्ष्य में कोई ऐसी विशेष बात न हो जो विचारण न्यायाधीश के ध्यान से छूट गई हो, या विश्वसनीयता के संबंध में न्यायाधीश की राय को बदलने के लिए असंभावना का पर्याप्त संतुलन न हो, तब तक अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायाधीश के निर्णय में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए। तथ्य के प्रश्न पर निर्णय

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

करें। (सरजू परशाद रामदेव साहू बनाम ज्वालेश्वरी प्रताप नारायण सिंह (**AIR** 1951 **SC** 120) देखें) दूसरा, तथ्य संबंधी किसी निर्णय को पलटते समय अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तर्क का गहन अध्ययन करना चाहिए और फिर अलग निर्णय पर पहुंचने के अपने कारण बताने चाहिए। इससे आगे की अपील की सुनवाई करने वाली अदालत संतुष्ट हो जाएगी कि प्रथम अपीलीय न्यायालयों ने अपने अपेक्षित कर्तव्य का निर्वहन किया है। हमें केवल प्रथम अपील न्यायालय को संहिता में प्रतिस्थापित वर्तमान धारा 100 की योजना द्वारा उन पर डाले गए अतिरिक्त दायित्व की याद दिलाने की आवश्यकता है। प्रथम अपील न्यायालय पहले की तरह ही तथ्यों की अंतिम अदालत बनी रहेगी; तथ्यों के विशुद्ध निष्कर्ष दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती से मुक्त रहेंगे। अब प्रथम अपील न्यायालय कानून की भी अंतिम अदालत है, इस अर्थ में कि कानून के प्रश्न पर उसका निर्णय, भले ही त्रुटिपूर्ण हो, दूसरी अपील में उच्च न्यायालय के समक्ष चुनौती के योग्य नहीं होगा क्योंकि अब उच्च न्यायालय का अधिकार क्षेत्र प्रथम अपील न्यायालय के कानून की त्रुटियों या त्रुटिपूर्ण निष्कर्षों को सुधारने के लिए उपलब्ध नहीं है। न्यायालय विधि संबंधी प्रश्नों

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

पर भी तब तक विचार नहीं करेगा जब तक कि वह विधि संबंधी प्रश्न कोई महत्वपूर्ण प्रश्न न हो ।

9. दूसरी ओर,प्रत्यर्थी गण की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता श्री पी.के. वर्मा ने प्रथम अपीलीय न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय और डिक्री का समर्थन किया और कहा कि द्वितीय अपील का दायरा बहुत सीमित है। प्रथम अपीलीय न्यायालय संपूर्ण साक्ष्य और अभिलेख में रखे गए तथ्यों का पुनर्मूल्यांकन करने और अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिए गए निर्णय को पलटने के लिए सक्षम है।प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का उचित परिप्रेक्ष्य में मूल्यांकन करने और इस असंभावित तथ्य पर विचार करने के बाद कि वाद भूमि अप्रैल 1974 में वादी के नाम पर 3,000 रुपये में खरीदी गई थी, जिसे दिसंबर 1974 में वादी की ओर से 2,000 रुपये में बेचा गया था, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय को उचित रूप से पलट दिया है। ये निष्कर्ष मूलतः तथ्यों पर आधारित हैं। निर्धारण के लिए कोई महत्वपूर्ण विधि प्रश्न नहीं उठता और यह अपील खारिज किए जाने योग्य है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

10.मैंने पक्षकारों के विद्वान अधिवक्ताओं की बात सुनी है और दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के अभिलेखों का परिशीलन किया है।

11.दोनों अधीनस्थ न्यायालयो के समक्ष मुख्य प्रश्न यह था कि दिनांक 3.4.74 को पंजीकृत विक्रय विलेख द्वारा खरीदी गई वाद संपत्ति का वास्तविक स्वामी कौन था, अर्थात् क्या वास्तविक स्वामी वादी थे या प्रतिवादी संख्या 3।

12.दिनांक 3-4-74 के विक्रय विलेख के अनुसार, यह निर्विवाद है कि वादी ने अपने पिता/प्रतिवादी संख्या 3के माध्यम से वाद संपत्ति खरीदी थी और वादी की ओर से प्रतिवादी संख्या 3 ने दिनांक 21-12-74 के विक्रय विलेख के माध्यम से वाद संपत्ति को उनके अभिभावक के रूप में बेचा था। क्या वाद संपत्ति कानूनी आवश्यकता के लिए बेची गई थी, यह वास्तव में विचारण न्यायालय और प्रथम अपीलीय अदालत के समक्ष प्रश्न नहीं था। प्रत्यर्थी संख्या 1 और 2 द्वारा प्रस्तुत बचाव स्पष्ट था कि वाद संपत्ति का स्वामी प्रत्यर्थी संख्या 3 था और उसने इसे कानूनी और वैध रूप से उन्हें बेचा था। विचारण न्यायालय ने अपने निष्कर्ष मुख्य रूप से गवाह संख्या 2 संतराम सोनी और गवाह संख्या 3 खोरबहारा के रजिस्ट्रार के समक्ष सुगंधिबाई (अर्थात वादी की नानी) की उपस्थिति के संबंध में दिए गए बयानों में विरोधाभासों पर आधारित किए; और विक्रय विलेख में नानी को वादी का अभिभावक नहीं दिखाया गया था।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

13. दिनांक 3-4-74 के विक्रय विलेख द्वारा वादग्रस्त भूमि की खरीद वादी पक्ष के नाम पर उनके पिता, अभिभावक, प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से की गई थी। वादग्रस्त भूमि वादी पक्ष के नाम पर पंजीकृत है। दिनांक 21-12-74 का विक्रय विलेख भी

वादी पक्ष द्वारा उनके पिता, अभिभावक, प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से निष्पादित किया गया था। यदि कोई बेनामी लेन-देन होता, तो विक्रय विलेख वादियों द्वारा निष्पादित करने के बजाय, संपत्ति के बेनामी स्वामी होने के नाते प्रत्यर्थी संख्या 3 द्वारा सीधे निष्पादित किया जाता। साक्ष्य से यह तथ्य प्रकट होता है कि सरतार करतार सिंह, जिनसे वादियों ने वादग्रस्त भूमि खरीदी थी, प्रत्यर्थी संख्या 2 के सगे भाई थे और करतार सिंह और वादियों के बीच हुए लेन-देन की जानकारी प्रतिवादी संख्या 2 को थी, इसलिए यदि खरीद बेनामी थी तो प्रत्यर्थी संख्या 2 को विक्रय विलेख प्राप्त नहीं करना चाहिए था।वादी पक्ष के अभिभावक प्रत्यर्थी संख्या 3 के माध्यम से मुकदमा दायर कर रहा है। प्रत्यर्थी ने इस तथ्य के संबंध में कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है। इसके अलावा, वादग्रस्त भूमि 3,000 रुपये में खरीदी गई थी और कथित तौर पर 2,000 रुपये में बेची गई थी, जो उस पर विश्वास करना कठिन है। परमजीत सिंह/प्रतिवादी संख्या 2 के बयान के अनुसार, प्रत्यर्थी संख्या 3 ने करतार सिंह की दुकान में करतार सिंह को 3,000 रुपये का भुगतान किया था और उस समय यह भी तय किया गया था कि रजिस्ट्री वादी पक्ष के नाम पर निष्पादित की जाएगी। इसलिए, रजिस्ट्रार के समक्ष सुगंगीबाई यानी नानी की उपस्थिति का कोई महत्व नहीं था और यह तथ्य कि विक्रय विलेख नानी के माध्यम से नहीं बल्कि अभिभावक पिता के माध्यम से निष्पादित किया गया था, प्रत्यर्थी संख्या 3 को स्वामित्व प्रदान नहीं करता। एक और तथ्य जिस पर अधीनस्थ

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

न्यायालय ने ध्यान नहीं दिया, वह यह था कि विचारण न्यायालय ने प्रतिवादी संख्या 3 द्वारा दायर जवाब और उसके द्वारा प्रस्तुत साक्ष्यों पर गौर नहीं किया, जो वादी के मामले का पूर्णतः समर्थन करते थे।

14.इसके अलावा, प्रतिवादियों के स्वयं के मामले के अनुसार, उन्हें वादी द्वारा वर्ष 1976 में बेदखल कर दिया गया था और उनका नामांतरण हेतु आवेदन भी खारिज कर दिया गया था, फिर भी उन्होंने अब तक वाद संपत्ति पर कब्जे के लिए कोई मुकदमा दायर नहीं किया है। ये सभी तथ्य दर्शाते हैं कि वादी ही वाद भूमि के वास्तविक स्वामी हैं और खरीद राशि का स्रोत उनकी नानी थीं। इसलिए, प्रथम अपीलीय न्यायालय ने संपूर्ण साक्ष्य का सही पुनर्मूल्यांकन किया है और सही निर्णय दिया है कि प्रत्यर्थी संख्या 3 वाद संपत्ति का बेनामी स्वामी नहीं था और वादीगण ही इसके वास्तविक स्वामी थे।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

15.इस मामले को दूसरे दृष्टिकोण से भी देखा जा सकता है। बेनामी संव्यवहार (निषेध) अधिनियम, 1988 के लागू होने से पहले, बेनामी लेनदेन भारतीय न्यास अधिनियम, 1882 के तहत अचल संपत्तियों से संबंधित कानूनी लेनदेन की एक मान्यता प्राप्त श्रेणी थी, तत्कालीन विधानमंडल ने धारा 82 में निम्नलिखित प्रावधान किए थे:-

> 82. किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए प्रतिफल के बदले किसी एक व्यक्ति को हस्तांतरण। जहां संपत्ति किसी अन्य व्यक्ति द्वारा भुगतान किए गए या प्रदान किए गए प्रतिफल के

बदले किसी एक व्यक्ति को हस्तांतरित की जाती है, और ऐसा प्रतीत होता है कि उस अन्य व्यक्ति का इरादा हस्तांतरिती के लाभ के लिए ऐसा प्रतिफल भुगतान करने या प्रदान करने का नहीं था, तो हस्तांतरिती को संपत्ति का भुगतान करने या प्रदान करने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए संपत्ति को धारण करना होगा।

16.उपरोक्त प्रावधान के अनुसार, वास्तविक स्वामी को यह साबित करना होगा कि उक्त प्रतिफल उसके द्वारा हस्तांतरिती के लाभ के लिए नहीं दिया गया था,तभी यह माना जा सकता है कि हस्तांतरिती प्रतिफल देने वाले या प्रदान करने वाले व्यक्ति के लाभ के लिए वाद संपत्ति धारण कर रहा है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

17.इस मामले में प्रत्यर्थीयों ने स्पष्ट रूप से यह दलील दी है कि संपत्ति किसके लाभ के लिए खरीदी गई है, यह प्रश्न अप्रासंगिक है। प्रत्यर्थी संख्या 3 ने स्पष्ट रूप से स्वीकार किया है कि वह वादग्रस्त संपत्ति का वास्तविक स्वामी नहीं है और उसने वादी के दावे का समर्थन किया है।

18.यह सर्वविदित कानून है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय को विचारण न्यायालय के निर्णयों को पलटने या पुष्टि करने का अधिकार है। प्रथम अपीलीय न्यायालय का निर्णय भी निर्णय को पलटते समय उसके विवेकपूर्ण निर्णय को दर्शाता है, जो मामले के निर्णय के लिए पक्षों द्वारा प्रस्तुत और दबाव डाले गए तर्कों और मुद्दों पर दिए गए

कारणों से समर्थित है। विचारण न्यायालय द्वारा दिए गए तथ्यात्मक निर्णय को पलटते हुए प्रथम अपीलीय न्यायालय ने अपने स्वयं के कारण बताए हैं जो उचित और वैध प्रतीत होते हैं। पक्षों के कथनों और प्रस्तुत साक्ष्यों का ध्यानपूर्वक अध्ययन करने पर, मुझे प्रथम अपीलीय न्यायालय के निर्णय को पलटने में कोई विकृति, अवैधता या विसंगती नहीं मिलता है। श्री श्रीवास्तव द्वारा उद्धृत निर्णय, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों में, उनके लिए सहायक नहीं है।

19.इसलिए, इस मामले में तैयार किए गए विधि के सारवान प्रश्न का उत्तर वादी के पक्ष में दिया गया है और यह माना जाता है कि प्रथम अपीलीय न्यायालय ने विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और डिक्री को सही ढंग से उलट दिया है और वाद को सही ढंग से विक्रित किया है।

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur

20.उपरोक्त के मद्देनजर, अपील सारहीन होने के कारण खारिज किए जाने योग्य है और इसे एतद्द्वारा खारिज किया जाता है।

21. वाद व्यय के संबंध में कोई आदेश नहीं।

सही /-
एन.के. अग्रवाल,
न्यायाधीश

अस्वीकरणः हिन्दी भाषा में निर्णय का अनुवाद पक्षकारों के सीमित प्रयोग हेतु किया गया है ताकि वो अपनी भाषा में इसे समझ सकें एवं यह किसी अन्य प्रयोजन हेतु प्रयोग नहीं किया जाएगा। समस्त कार्यालयीन एवं व्यवहारिक प्रयोजनों हेतु निर्णय का अंग्रेजी स्वरुप ही अभिप्रमाणित माना जाएगा और कार्यान्वयन तथा लागू किए जाने हेतु उसे ही वरीयतादी जाएगी।

Translated By MS.MAMTA MAHILANGE ADV.

Web Copy
High Court of Chhattisgarh
Bilaspur